न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)
वादपत्र संख्या 46/2020
अनुवान नानूदेवी बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट
निर्णय दिनांक 23.10.2020

नानूदेवी पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी रूपलीसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–वादीनी–

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री कालीचरण शर्मा वास्ते वादीगण।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीनी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 102 तादादी 29.0400 हैक्टेयर, ख0 नं0 109 तादादी 14.8100 हैक्टेयर कुल तादादी 43.8500 हैक्टेयर रोही रूपलीसर तहसील सरदारशहर में स्थित है। जिसमें वादीनी का 1/6 हिस्सा स्थित है। वादगत भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादीनी का नाम केशर पत्नी मालाराम दर्ज है जो अशुद्ध है। जबकि वादीनी का शुद्ध नाम नानूदेवी पत्नी मालाराम है।

वादगत कृषि भूमि पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। वादीनी के पति के स्वर्गवास के पश्चात वादगत कृषि भूमि का नामान्तरण सं0 633 दर्ज किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारियों की सहवन से रही लिपिकीय त्रुटि के कारण वादीनी का गांव में बोलता नाम केशर पत्नी मालाराम दर्ज कर दिया गया। उसके पश्चात लगातार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीनी का नाम केशर पत्नी मालाराम अशुद्ध चला आ रहा है। जबकि वादीनी का शुद्ध नाम नानूदेवी पत्नी मालाराम है। वादगत

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि में वादीनी का नाम अशुद्ध दर्ज है। वादगत भूमि की वादीनी खातेदार काबिज काश्तकार होने से सहबन से अशुद्ध दर्ज प्रविष्टी को शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने की कानूनन अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख शुद्धि करवाने की अधिकारी है।

वादीनी के अन्य दस्तावेजों जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में वादीनी का नाम नानूदेवी पत्नी मालाराम अंकित है। वादीनी का नाम केशर पत्नी मालाराम हस्तगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध करवाने की वादी कानूनन अधिकारी है। वादीनी का वास्तविक नाम नानूदेवी पत्नी मालाराम है जबकि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादीनी का नाम केशर पत्नी मालाराम होने के कारण वादीनी को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा अथवा अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादीनी को करना पड़ता है। इसलिए वादीनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध दर्ज नाम केशर पत्नी मालाराम के स्थान पर सही नाम नानूदेवी पत्नी मालाराम को दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादीनी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीनी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादीनी के.सी.सी. बनवाने के लिए पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गया तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादीनी को इस गलत राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी हुई। राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद वादीनी तहसीलदार सरदारशहर से मिली और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादीनी का नाम संशोधित करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने कहा SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार तहसीलदार सरदारशहर द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादीनी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। वादगत कृषि भूमि के अन्य सहखातेदारों को वादीनी द्वारा पक्षकार वाद नहीं बनाया गया है क्योकि वादीनी के नाम संशोधन से अन्य पक्षकारों के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्हें पक्षकार संयोजित किये बिना ही दावा वादीनी द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया जा रहा है।

वादीनी ने वाद पेश कर स्वयं की कृषि भूमि ख0 नं0 102 तादादी 29.0400 हैक्टेयर, ख0 नं0 109 तादादी 14.8100 हैक्टेयर कुल तादादी 43.8500 हैक्टेयर रोही रूपलीसर तहसील सरदारशहर वादीनी की खातेदारी कृषि भूमियां है जिनके राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम केशर पत्नी मालाराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर सही नाम नानूदेवी पत्नी मालाराम दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम केशर पत्नी मालाराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादीनी का सही नाम नानूदेवी पत्नी मालाराम घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है एवं वादीनी के सह खातेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested

उसके पुत्र एवं पुत्रवधू उपस्थित आये एवं प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीनी का नाम केशर अशुद्ध हैं जिसे शुद्ध कर नानूदेवी किया जाता हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

वादीनी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 खसरा नम्बर 102, 109 की छायाप्रति।
2. नामांतरकरण 633 रोही रूपलीसर।
3. कार्यालय ग्राम पंचायत रूपलीसर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
4. वादीनी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. वादीनी के राशन कार्ड की छायाप्रति।
6. बैंक पासबुक की छायाप्रति।
7. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।
8. जन–आधार रसीद संख्या की प्रति।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादीनी का नाम नानूदेवी पत्नी मालाराम अंकित है।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादीनी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 102 तादादी 29.0400 हैक्टेयर, ख0 नं0 109 तादादी 14.8100 हैक्टेयर कुल तादादी 43.8500 हैक्टेयर रोही रूपलीसर तहसील सरदारशहर वादीनी की खातेदारी कृषि भूमियां है जिनके राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम केशर पत्नी मालाराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर सही नाम नानूदेवी उर्फ केशर पत्नी मालाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	रूपलीसर	102, 109	केशर पत्नी मालाराम	नानूदेवी उर्फ केशर पत्नी मालाराम

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 46/2020
अनुवान नानूदेवी बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादीनी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 102 तादादी 29.0400 हैक्टेयर, ख0 नं0 109 तादादी 14.8100 हैक्टेयर कुल तादादी 43.8500 हैक्टेयर रोही रूपलीसर तहसील सरदारशहर वादीनी की खातेदारी कृषि भूमियां है जिनके राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम केशर पत्नी मालाराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर सही नाम नानूदेवी उर्फ केशर पत्नी मालाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

.....

.....बीज.....मुबलि .....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 10 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा .....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested